"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 फरवरी 2014— माघ 24, शक 1935

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक /3417/2013/19/तक-4. — भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का 8) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, की धारा -2 सहपठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 23-10/97/जी/19/भोपाल, दिनांक 30 जून, 1998 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा जशपुर जिले के तपकरा फरसाबहार मार्ग के कि. मी. 3/8-10 पर स्थित ईब नदी पुल एवं सोनाजोरी पुल के कि. मी. 8/4 पर पथकर की वसूली दिनांक 01 अप्रैल 2014 से समाप्त करती है.

No. 3417/2013/19/T-4 . — In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851) as is applicable to the State of Chhattisgarh, in pursuance of the Department's previous Notification No. F-23-10/97/G/19/Bhopal Dated 30th June 1998, the State Government, hereby, revokes the levy of toll on Ebb River bridge located at 3/8-10 km. of Tapkara Farsabahar Marg and 8/4 km. of Sonajaori Bridge of Jashpur District, with effect from 01st April 2014.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.